राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25(74)/पार्ट–II/परि/कम्प्यू/2016/7458 जयपुर, दिनांकः 21/5/2020

आदेश

गृह विभाग के लॉकडाउन 4.0 (दिनांक 18 से 31 मई, 2020) के क्रियान्वयन आदेश दिनांक 18.05.2020 के द्वारा रेड, ओरेंज एवं ग्रीन जोन के लिए नवीनतम गतिविधियों को अनुमत किया गया है। जिसमे रेड जोन में स्थित सरकारी कार्यालयो में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ एवं ओरेंज जोन में 2/3 स्टाफ के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है ऐसी स्थिती में परिवहन कार्यालयों में लाईसेंस से संबंधित लम्बित आवेदनों का निस्तारण निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जावेः–

1. कोरोना संक्रमण के कारण प्रति Slots में Number of candidate की पूर्व निर्धारित संख्या को कम करके 1/3 किया जावे। उक्त कार्यवाही कार्यालय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष (RTO/DTO) को जारी office admin account द्वारा किया जाना संभव है।
2. लॉकडाउन अवधि से पूर्व एवं के दौरान बुक किये गये slots को सर्वप्रथम लाईसेंस संबंधित कार्य प्रारंभ होने के बाद के कार्य दिवसों में reschedule कियां जावे एवं स्लॉट आवंटन reschedule होने की सूचना संबंधित आवेदक को SMS द्वारा मिल गयी है इस तथ्य की पुष्टि संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नमूना जांच (Sample Testing) के आधार की जावे। उक्त कार्यवाही कार्यालय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष (RTO/DTO) को जारी office admin account द्वारा किया जाना संभव है।
    a. लॉकडाउन समाप्त होने के उपरांत प्रथम वरीयता उन आवेदकों को दी जानी है जिन्होने लॉकडाउन अवधि का स्लॉट बुक करवा रखा था एवं 21.03.2020 के पश्चात लॉक डाउन के कारण कार्यावाही लम्बित है।
    b. लाईसेंस कार्य हेतु कार्यालयों का कार्य समय बढाया जावे यथा प्रातः 9.00 बजे से साय 6.00 बजे तक जिससे स्लॉट की उपलब्धता बढायी जावे।
    c. शनिवार को लाईसेंस संबंधि कार्य नियमित रुप से कर स्लॉट की उपलब्धता बढायी जावे।
3. यदि लॉकडाउन अवधि के बुक किये गये सभी slot आगे उपलब्ध slot में reschedule नही हो पाते है तो Master Management - RTO appoint Custom Setting - No of Days Advance Appointment in case of (LL/DL) Test से आवश्यकतानुसार आगे की अवधि तक के slots को खोलकर बचे हुए slots को फिर से Reschedule किया जावे। उक्त कार्यवाही कार्यालय स्तर पर कार्यालय अध्यक्ष (RTO/DTO) को जारी office admin account द्वारा किया जाना संभव है।
4. Covid-19 के मध्यनजर सुरक्षा व Social distancing के लिए निम्न बिन्दुओ की पालना किया जाना अपेक्षित हैः–

a. लाईसेंस भवन / कार्यालय में केवल आवेदक को प्रवेश दिया जावे।

b. समस्त आवेदको के लिए हैण्ड सेनेटाईजर की व्यवस्था करवायी जाये। जिससे आवेदक अच्छी तरह हाथ धोए अथवा हैण्ड सेनेटाईजर से हाथ साफ करें। प्रत्येक आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क लगाया हुआ होना चाहिए।

c. कार्यालय में थर्मल स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे किसी भी आवेदक को जुकाम, खासी, बुखार एवं समान लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने का सुझाव देवे। उपरोक्त लक्षण पाये जाने की स्थिति में कार्यालय में किसी के सम्पर्क में न आने पाये।

d. कार्यालय भवन के अंदर बैठक व्यवस्था व दस्तावेजों की जांच करते समय एवं फोटो लेते समय में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूर्ण रूप से की जावें।

e. आवेदकों के बीच कम से कम 2 गज (6 फीट) की दूरी बनाये रखें। समूह में खडें न रहें। यथासंभव Social Distance को बनाये रखने के लिए ◯ Sign प्रदर्शित / चिन्हित की जावें

f. लर्निग लाईसेंस, स्थायी लाईसेंस शाखा व अन्य शाखाओं विशेषकर निम्न स्थलों को प्रतिदिन 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट द्वारा सेनेटाईज करावें।

अ. लाईसेंस हॉल आवेदको के बैठने की सीट / बैच / कुर्सी

ब. फर्श, विण्डो, शौचालय, रेलिंग

स. अन्य सभी स्थान जहां आमजन का आना / जाना हो एवं छूने की संभावना हो।

g. **चालक लाईसेंस लेने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को लर्निग लाईसेंस जारी करने से पूर्व यातायात नियमों की जानकारी का टेस्ट जो कि कम्प्यूटर टच स्क्रीन पर लिया जाता है उसके उपयोग हेतु विभाग की ओर से एक सहायक यथा परिवहन निरीक्षक / परिवहन उप निरीक्षक / सूचना सहायक नियुक्त किया जावे जो कि आवेदक द्वारा टेस्ट के दौरान दिए गए विकल्प को टच स्क्रीन कियोस्क पर बटन दबाकर दर्ज करेगा। इस हेतु आवेदकों को सहयोग करने वाले कार्मिकों को उचित मानक युक्त मास्क लगाया जावे एवं हाथ में दस्ताने पहनने की व्यवस्था की जाए। किसी भी परिस्थिति में आवेदकों को टच स्क्रींन छूने की अनुमति नहीं दी जावे।**

h. लाईसेंस बनाने के लिए आने वाले आवेदकों के लिए पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए।

i. कार्यालय परिसर में एक ही स्थान पर अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित ना हो इसकी कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें।

5. **अतिआवश्यक परिस्थितियों में आवेदक के आवंटित स्लॉट को Reschedule कर प्राथमिकता के आधार पर सेवा प्रदान करने बाबत् ––**

यदि किसी आवेदक का अति आवश्यक परिस्थितियों में Reschedule किये गये Appoinment से पूर्व की तिथी में सेवा प्रदान किया जाना आवश्यक हो तो उस स्थिति में संबंधित जिला परिवहन अधिकारी आवेदक से लिखित आवेदन पत्र मय दस्तावेजो को प्राप्त करेंगे एवं जिला परिवहन अधिकारी द्वारा स्वीकृती प्रदान किये

जाने के उपरांत आवेदक को apponinment तिथि से पहले सेवा दी जा सकेगी। संबंधित जिला परिवहन अधिकारी उक्त आवेदन पत्रों का रिकॉर्ड संधारित करेंगे।

6. कार्यालयों में लाईसेंस संबंधी सेवाएं प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त आम जान को ऑनलाईन स्लॉट आवंटन में प्रथम वरियता लॉकडाउन अवधी में स्लॉट बुक करवा चुके आवेदकों को प्रदान की जावे। लॉकडाउन अवधी में लम्बित आवेदनों का निस्तारण होने के पश्चात की तिथियों में नवीन आवेदनों को स्लॉट आवंटन किया जावे परन्तु स्थाई लाईसेंस नवीनीकरण के मामलों में नवीनीकरण की कार्यवाही तुरन्त की जावे।

7. **मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा चालन प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों को लर्निंग लाईसेंस जारी करने का कार्य किया जाना –**

   मोटर ड्राईविंग स्कूल स्कीम 2018 के अनुसार मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा एक चौपहिया अपरिवहन यान से एक माह में अधिकतम 30 लर्निंग लाईसेंस एवं परिवहन यान के लिए अधिकतम 20 लर्निंग लाईसेंस जारी करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना उचित होगा कि प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल प्रति अपरिवहन एवं परिवहन यान के लिए अधिकतम प्रतिदिन 1 – 1 ही लर्निंग लाईसेंस जारी किया जा सके जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

8. लाईसेंस संबंधीत कार्य का निस्तारण रेड जोन में स्थित कंटेन्टमेन्ट जोन एवं कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में स्थित परिवहन कार्यालयों एवं मोटर ड्राईविंग स्कूलों द्वारा नहीं किया जावेगा।

(रवि जैन)

7449-58 शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 25(74)/पार्ट–II/परि/कम्प्यू/2016/ o/c जयपुर,दिनांकः 21/5/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. समस्त जिला कलेक्टर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
6. संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशा.)।
7. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
8. समस्त प्रादेशिक/अति प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट।
10. जन संपर्क अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)
o/c